

प्रेस नोट थाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक-16.07.2022

लूट एवं डकैती में वांछित 25,000/- रुपये का इनामी अपराधी गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा लूटेरो/वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व श्रीमति इन्दु प्रभा सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट एवं प्रभारी सर्विलांस सेल के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कैण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2022 धारा 392 भादवि तरमीम धारा-395/412 भादवि से सम्बन्धित लूट व डकैती का वांछित अभियुक्त मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 विदेशी निवासी मोहरीपुर नकहा नं0 1 केवटहिया टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर जो कि विगत काफी दिनों से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके द्वारा अपने अन्य नामित साथियों के साथ मिलकर पेशेवर तरीके से लूट व डकैती की घटनाएं कारित की गयी है। उक्त अपराधी को दिनांक 15.07.2022 मुखबीर की सूचना पर समय करीब 13.30 बजे कचहरी गेट नं0 02 पर मोटरसाइकिल स्टैण्ड थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

लूट/डकैती की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.04.2022 को श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्र पुत्र नमेन्द्र मिश्र निवासी रुस्तमपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर के द्वारा अपने कुछ जानने वाले लोगों से कुल 4 लाख 60,000 (चार लाख साठ हजार) रुपया बलदेव प्लाजा पर उधार लेकर अपने घर रुस्तमपुर जाने के लिए निकला था कि समय करीब 7 pm के आस पास रुस्तमपुर स्थित उसके घर के पास से दो मोटर साइकिलों पर सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे जबरन रोककर उसके हाथ से पैसे वाला बैग छीनकर फरार हो गये थे। जिसके सम्बन्ध में आवेदक की सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अं0सं0 255/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया जो कि बाद में विवेचना के दौरान धारा 395/412 भादवि में तरमीम किया गया।

अपराध का तरीका-

गिरफ्तार अपराधी मनोज साहनी उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। जो नेपाल राष्ट्र में कारोबारियों/व्यापारियों की रैकी कर उनके साथ लूट एवं डकैती जैसे संगीन अपराध कारित करते है। इस गैंग के द्वारा पूर्व की कई घटनाओं में हत्या तक कारित की गयी है। इस तरह के जघन्य अपराधों में इनके कुछ साथियों द्वारा कारोबारियों/व्यापारियों के आने जाने की मुखबीरी/रैकी की जाती है तथा संयुक्त रूप से इस गैंग द्वारा अवैध असलहो से लैस होकर रास्ते में ही आने जाने वाले कारोबारियों/व्यापारियों से लूट/डकैती जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस गैंग के कुछ सदस्यों को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रैकी/मुखबीरी करने वाले अन्य अपराधियों के विषय में पुलिस द्वारा लगातार सुरागरी पतारसी कर जानकारी का प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र स्व0 विदेशी निवासी मोहरीपुर नकहा नं0 1 केवटहिया टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास- एचएस 2 ए थाना चिलुआताल

1. मु0अ0सं0- 38/2021 धारा- 307 भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0- 255/2022 धारा- 392 भादवि तरमीम धारा-395/412 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 17/22 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 44/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 29/21 धारा 392, 506 भादवि थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 1082/10 धारा 392 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 32/08 धारा 307 भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
8. मु0अ0सं0 309/13 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान -

दिनांक 15.07.2022 मुखबीर की सूचना पर समय करीब 13.30 बजे कचहरी गेट नं0 02 पर मोटरसाइकिल स्टैण्ड थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह चौकी प्रभारी रेलवे थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 मोहसिन खान थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. हे0का0 रणजीत सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. का0 नमित मिश्रा सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
7. का0 गणेश शंकर पाण्डेय सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
8. का0 अरूण राय सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर